पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 ई0 (कार्तिक 08, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–44

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	549–571	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	747–757	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	351–366	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

29 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 1471/XV-1/21/2(6)/2020–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए पशु चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, 2021

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम **उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, 2021** है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा एक राजपत्रित सेवा है। जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **"नियुक्त प्राधिकारी"** से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"संवर्ग"** से पशु चिकित्सा सेवा "क" व "ख" के पद अभिप्रेत है;

(ग) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ड) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इस नियमावली से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेश के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तित न की जाए, उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट–'क'** मे दी गयी है:

परन्तु

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा:

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई एवं अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

(i)	**निदेशक**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर निदेशकों/समकक्ष में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कुल 25 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(ii)	**अपर निदेशक**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक/रोग अनुसंधान अधिकारी/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद्/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा कुल 20 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(iii)	**संयुक्त निदेशक/ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी /**	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 में से,

	परियोजना निदेशक /रोग अनुसंधान अधिकारी/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद	जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(iv)	**उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी /पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 /समकक्ष पद**	उत्तराखण्ड राज्य पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के ऐसे स्थाई सदस्यों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
(v)	**पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–2**	(क) **95 प्रतिशत** पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) **05 प्रतिशत** पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पशुधन प्रसार अधिकारी में से, जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी०वी०एस० सी० एण्ड ए०एच०) में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा : परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अपेक्षित संख्या में अर्हता प्राप्त विभागीय कार्मिक उक्त पदोन्नति कोटे के प्रति उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में रिक्त रह गये पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हताऐं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केनिया, युगान्डा या संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो:

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताऐं रखता हो :–

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच०) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता;

(ख) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक् रूप से पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(क) पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा, या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो, या

(ख) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,या

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाती हैं, उस वर्ष की पहली जुलाई को उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो, जैसा समय–समय पर निर्धारित की जाये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु, यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसने–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) सेवा के अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–II, भाग– III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन

बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु यह कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अधीन चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु नियम 17 के अन्तर्गत गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु आयोग को सूचित करेगा।

पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

15. (1) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलायेगा, जितने वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हों।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में उनके प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया

16. नियम 5 के खण्ड (V) (ख) के अन्तर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

पदोन्नति हेतु भर्ती प्रक्रिया

17. (1) उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 एवं उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 के अनुसार गठित पदोन्नति समिति के माध्यम से की जायेगी।

(क) निदेशक एवं अपर निदेशक के पदों पर पदोन्नति श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(i) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – **अध्यक्ष**

(ii) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन – **सदस्य**

(iii) सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन – **सदस्य**

(iv) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति, का कोई अधिकारी, जो सरकार के सचिव से निम्न स्तर का न हो – **सदस्य**

(यदि उपरोक्त क्रमांक (i) से (iii) तक का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से न हो)

(ख) संयुक्त निदेशक/समकक्ष पद एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1 /समकक्ष पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(i) प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड या अन्य कोई अधिकारी, जो सरकार के अपर सचिव के स्तर से निम्न न हो।

(iii) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

(iv) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई अधिकारी, जो उत्तराखण्ड शासन के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।
(यदि उपरोक्त क्रमांक (i) अथवा (ii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति से न हो)

टिप्पणी– उपरोक्त (i) तथा (ii) में से ज्येष्ठ सचिव समिति की अध्यक्षता करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनके चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ

चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जाय।

(3) चयन समिति द्वारा उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर, जैसे उनकी उस संवर्ग में है जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है की सूची तैयार कर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) नियुक्ति प्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पदों पर, नियम 15 के उपनियम (3) के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम के क्रम में, नियुक्ति करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी श्रेणी 'क' के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम 17 के उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 के खण्ड (घ) के अधीन निहित प्रावधानों के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2 के पद पर प्रथम नियुक्ति अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्र में की जायेगी।

परिवीक्षा

20. (1) पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2, पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1/उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक/परियोजना निदेशक/रोग अनुसंधान अधिकारी /रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् के पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।

(2) अपर निदेशक एवं निदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा की दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित होंगे :

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 02 वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(5) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

21. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहाँ समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न पदों के लिये लागू वेतनमान व पदों की संख्या **"परिशिष्ट–क"** में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यदि संतोषजनक सेवा प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय, कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे :

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट–"क"
(नियम–4(2) और 23(2)

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	निदेशक	रू० 144200–218200 लेवल–15	01
2	अपर निदेशक	रू० 123100–215900 लेवल–13	04
3	संयुक्त निदेशक/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/परियोजना निदेशक/रोग अनुसंधान अधिकारी/रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद	रू० 78800–209200 लेवल–12	36
4	पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–1/उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी/समकक्ष पद	रू० 67700–208700 लेवल–11	150
5	पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड–2	रू० 56100–177500 लेवल–10	310 (स्थाई–289 + अस्थाई–21)

आज्ञा से,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1471/XV-1/21/2(6)/2006** dated September 29, 2021.

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 29, 2021

No.1471/XV-1/21/2(6) 2006– In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the "Constitution of India" and super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Veterinary Services.

The Uttarakhand Veterinary Service Rules, 2021

Part-I - General

Short title and commencement-

1. (i) These Rules may be called Uttarakhand Veterinary Services Rules, 2021.

(ii) They shall come into force at once.

Status of service

2. "The Uttarakhand Veterinary Services" is a Gazetted service comprising of posts of Group "A" & "B".

Definitions

3. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **'Appointing authority'** means the Governor.

(b) **Cadre** means Veterinary Services"A" & "B" posts.

(c) **'Commission'** means Uttarakhand Public Service Commission.

(d) **'Constitution'** means the Constitution of India;

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand ;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand ;

(g) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service.

(h) **'Service'** means The Uttarakhand Veterinary Services.

(i) **'Substantive Appointment'** means appointment to the post in the cadre of the service, which is not an ad-hoc appointment and made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the government.

(j) **'Year of recruitment'** means period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-II-Cadre

Cadre of service:

4. (1) The strength of the officers in service and the each category of posts therein shall be such as may be determined by the government from time to time.

(2) Until orders varying the same are issued under sub rule (1) the strength of officers in service and each category of posts shall be such as given in Appendix A:

Provided that -

(i) The Appointing Authority may leave any post vacant in any category unfilled or hold in abeyance, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional temporary or permanent posts in each category as he may consider proper.

Part-III-Recruitment

Source of recruitment:

5. Recruitment to posts of various categories in the service shall be made from following sources:-

(i)	**Director**	By promotion on the basis of merit, from amongst substantively appointed Additional Directors/ Equivalent who have completed 2 years of service on the first day of recruitment year in the said post and total 25 years of continuous service.
(ii)	**Additional Director**	By promotion on the basis of merit, from amongst substantively appointed Joint Director/Project Director/Disease Investigating Officer/Registrar, Uttarakhand Veterinary Council /Chief Veterinary Officer who have completed 4 years of service on the first day of recruitment year in the said post and total 20 years of continuous service.
(iii)	**'Joint Director/ Project Director/ Disease Investigating officers/Registrar, Uttarakhand Veterinary Council /Chief Veterinary Officers' –**	By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed Deputy Chief Veterinary Officer /Veterinary Officers Grade-1who have completed 7 years of service on the first day of recruitment year on the said post and have completed total 15 years of continuous service .

	(iv)	**Deputy Chief Veterinary Officer /Veterinary Officer Grade-1/ Equivalent post-**	By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Veterinary Officers Grade-2 who have completed minimum 8 years of continuous service on the first day of recruitment year in the said post.
	(v)	**Veterinary Officers Grade-2 –**	(a) **95** percent by direct recruitment through commission. (b) **05** percent by promotion through the Commission, from amongst the substantively appointed Livestock Extension Officers who have obtained Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc.& A.H.) from university established by law in India and recognized by Veterinary Council of India, or an equivalent degree from any institution recognized by the Government: Provided that, if in any year of recruitment the required number of qualified departmental candidates are not available against the said promotion quota then in such situation the recruitment to the remaining unfilled posts shall be made by direct recruitment through commission.

Reservation-

6. Reservation for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward classes, Economically Weaker Sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV- Qualification

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before January, 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African

countries of Kenya, Uganda or The United Republic of Tanzania(formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanent settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Sate Government.

Provided, further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category(c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has not been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

Academic Qualification

8. A candidate for direct recruitment to the post of Veterinary Officer Grade-2 in the service must possess following qualifications:-

(a) A Bachelor degree in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & AH) from any University established by law in India and recognized by the Veterinary Council of India or an equivalent degree of an institution recognized by the Government or any other veterinary qualification defined in clause (c) of section 2 of the Indian Veterinary council Act, 1984 (Act No. 52 of 1984), as amended from time to time.

(b) Must be duly registered with the Uttarakhand State Veterinary Council.

Preferential qualification

9. Other things being equal, (a candidate) be given preference in the matter of direct recruitment, if he:

(a) has postgraduate degree, diploma or other higher qualification in Veterinary Science; or

(b) had served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or

(c) has obtained a 'B' or 'C' certificate of National Cadet Corps.

Age

10. For direct recruitment a candidate must have attained the minimum age and not attained the maximum age in which vacancies are advertised by Public Service Commission or any other recruitment authority as notified from time to time on first July of that calendar year

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by the number of year as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

NOTE- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or a body owned by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wives living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service.

Provided that the Government may if satisfied, that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to-

(a) Passed the medical examination of Medical Council in case of Gazetted Post or Service

(b) to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule-10 contained in Financial Hand Book, Volume II part III:

Provided that in order of section 33, the post identified for this purpose and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the disabled shall not be denied for appointment as per rules.

Provided, further that a person appointed by promotion shall not be required to produce a medical certificate of fitness

Part V- Procedure for Recruitment

Determination Of Vacancies

14. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies in each category to be filled during the course of a year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward class, Economically Weaker Section and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6 and present before selection committee for promotion to the post outside the purview of commission formed according to Rule-17 and in case of direct recruitment of posts coming under purview of commission, inform the commission .

Procedure for direct recruitment in the post of Veterinary Officer Grade-2

15. (1) Application for being considered for selection shall be invited by the Commission in the prescribed form.

(2) The commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward classes, Economically weaker sections and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6, call for written exam such number of candidates who fulfill the requisite qualifications, as it consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed, by the marks obtained by each candidate in the written exam. If two or more candidates obtain equal marks, the candidates senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to Appointing Authority.

Procedure for recruitment by promotion in the post of Veterinary Officer Grade-2

16. Recruitment by promotion of the candidates according to Sub rule (v) (b) of Rule 5 in the post of Veterinary Officer Grade 2 shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.

Procedure for Selection by promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made through the Promotional Committee Constituted in accordance with The Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (For posts outside the purview of Public Service Commission) Rules, 200[illegible] and Uttarakhand Procedure for Selection by promotion for State services (for the post outside the purview of Public Service Commission) Rules, 2013

(A) Promotion to the post of Director and Additional Director, shall be made on the basis of merit, through a selection committee comprising the following members:-

(i)	Chief Secretary , Government of Uttarakhand	**Chairman**
(ii)	Secretary, Personnel Government of Uttarakhand.	**Member**
(iii)	Secretary, Animal Husbandry Government of Uttarakhand	**Member**
(iv)	An officer belonging to the Scheduled castes/ Scheduled Tribes, not below the rank of Secretary to the Government, Nominated by the Chairman of the selection Committee. (If none of the officers among s.no. (i) to s.no.(iii) belongs to Scheduled castes or Scheduled Tribes).	**Member**

(B) Promotion to the posts of 'Joint Director/ Equivalent post and Deputy Chief Veterinary Officer/ Veterinary Officer Grade-1/ Equivalent post shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through a selection committee comprising the following members :-

(i) Principal Secretary/Secretary, Animal Husbandry Government of Uttarakhand.

(ii) Secretary,Personnel Government of Uttarakhand Or An Officer not below the rank of Additional Secretary in Government

(iii) Director, Department of Animal Husbandry, Uttarakhand.

(iv) An officer belonging to the Scheduled castes/ Scheduled Tribes, not below the rank of Joint Secretary to the Government of Uttarakhand, to be nominated by the Chairman of the selection Committee.
(If none of the officers among s.no. (i) ors.n. (ii) belongs to Scheduled castes or Scheduled Tribes)

Note – Among (i) and (ii) above the senior secretary Shall preside the committee.

(2) List of eligible candidates on the basis of merit shall be prepared by the Appointing Authority and place before the Selection Committee along with the character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee on the basis of records as referred to in sub rule (2) shall consider the cases of the candidates and if it considers necessary it may interview the candidates.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority, as it stands in the cadre from which they are promoted and shall forward the same to the Appointing Authority.

Combined selection list

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined selection list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant list, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

Part-VI- Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

19. (1) The Appointing Authority shall make appointments to the post of Veterinary Officer Grade-2 by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared by the commission under sub-rule (3) of Rule 15.

(2) The Appointing Authority shall make appointments to the post of Group "A" by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under sub rule (4) of Rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall be issued mentioning the name of selected persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre or category from which they are promoted.If appointments are done through direct recruitment as well as through promotion, names shall be kept on rotational basis as described in Rule 18.

(4) First posting of Veterinary Officer grade-2 should be compulsory given in Durgam area as per provisions of clause (d) of section 7 of the Uttarakhand Annual transfer for Public Servants Act, 2017.

Probation

20. (1) The person oppointed on the post Veterinary Officer Grade-2, Veterinary officer Grade-1/Deputy Chief Veterinary Officer/Joint Director/Project Director/Disease Investigating Officer/Registrar, Uttarakhand Veterinary Council shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The person oppointed on the post of Additional Director and Director shall be placed on probation for a period of 01 year.

(3) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond 01 year and in no circumstances beyond 02 year.

(4) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation that a Probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lein on any post, his services may be dispensed with.

(5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (4), shall not be entitled to any compensation.

(6) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

confirmation

21. (1) A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of probation or the extended period of probation, if-

(i) His work and conduct is reported to be satisfactory,

(ii) His integrity is certified, and

(iii) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for Confirmation.

(2) Where confirmation is not necessary according the provisions of the Uttarakhand Government Servant Confirmation Rules, 2002, as amended from time to time, the order declaring under sub-rule(3) of rule 5 of the said rules that the respective person has successfully completed the probation period and shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

22. The seniority of persons substantively appointed in any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority rules, 2002 (as amended from time to time).

Part-VII-Pay etc.

Scale of Pay

23. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to various categories of post in the service, shall be as determined by the government from time to time.

(2) The scales of pay for different posts, at the commencement of these rules, are given in Appendix "A".

Pay during Probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year's satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probation period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the state.

Part-VIII-Other Provisions

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under rules applicable to the post or service, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that, if the rules are framed with consent of the commission, the commission shall be consulted before the requirements of the rules are dispensed with or relaxed.

Saving

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward classes, Economically Weaker Section and other categories in accordance with the orders issued by Government from time to time in this regard.

Appendix "A"

(Rule-4(2) and 23(2))

S. N.	NAME OF THE POST	PAY BAND/ GRADE PAY	NO. OF POSTS
1	Director	Rs. 144200-218200, Level-15	01
2	Additional Director	123100-215900 , Level-13	04
3	Joint Director/Chief Veterinary Officers/Project Director/Disease Investigatingofficers/Registrar, Uttarakhand Veterinary Council	78800-209200 , Level-12	36
4	Veterinary Officer Grade-1/Deputy Chief Veterinary Officer// Equivalent post	67700-208700 , Level-11	150
5	Veterinary Officer Grade-2	56100-177500 , Level-10	310 (Permanent-289 +21 Temporary)

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDRAM,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/414–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराख़ण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 ई0 (कार्तिक 08, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 20, 2021

No. 344/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India, High Court of Uttarakhand with the approval of the Governor, hereby makes the following Rules for regulating the procedure and practice in the Criminal Courts, subordinate to the High Court :--

THE UTTARAKHAND CRIMIMAL COURTS PROCEDURE AND PRACTICE RULES, 2021

PART I : PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement-** (1) These rules shall be called The Uttarakhand Criminal Courts Procedure and Practice Rules, 2021.

(2) These rules shall apply to all proceedings and matters in all Criminal Courts subordinate to the High Court.

(3) They shall come into force at once.

2. **Interpretation-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) 'Code' means the Code of Criminal Procedure, 1973.

(b) 'Court' means any Criminal Court established under the Code, any special law or any local law, time being in force.

(c) 'Existing rules' mean all rules, including the General Rules (Criminal), 1977 regulating the procedure and practice in the Courts.

(d) 'High Court' means the High Court of Uttarakhand.

(e) 'Presiding Officer' means Presiding Officer of the Court.

(f) 'Rules' mean the Uttarakhand Criminal Courts Procedure and Practice Rules, 2021

(g) 'Sessions case' means a case triable by Court of Sessions.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Code, shall have the meanings respectively assigned to them in that Code.

PART II : SUPPLY OF DOCUMENTS

3. Every Accused shall be supplied with statements of witness recorded under Sections 161 and 164 of the Code and a list of documents, material objects and exhibits seized during investigation and relied upon by the Investigating Officer (I.O) in accordance with Sections 207 and 208 of the Code.

Explanation: The list of statements, documents, material objects and exhibits shall specify statements, documents, material objects and exhibits that are not relied upon by the Investigating Officer.

PART III : CHARGE

4. The order framing charge shall be accompanied by a formal charge in Form 32, Schedule II of the Code to be prepared personally by the Presiding Officer after complete and total application of mind.

PART IV : TRIAL

CHAPTER 1
RECORDING OF EVIDENCE :PROCEDURE

5. The depositions of witnesses shall be recorded, in typed format, if possible. The record of evidence shall be prepared on computers, if available, in the Court on the dictation of the Presiding Officer :

Provided that in case the language of deposition is to be recorded in a language other than English or the language of the State, the Presiding Officer shall simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English.

6. The deposition shall be recorded in the language of the witness and in English when translated as provided in rule 5.

7. The depositions shall without exception be read over by the Presiding Officer in Court. Hard copy of the testimony so recorded duly signed to be a true copy by the Presiding Officer or the Reader of the Court, shall be made available free of cost against receipt to the accused or the advocate representing the accused, to the witness and the prosecutor on the date of recording.

8. A translator shall be made available in each Court and Presiding Officers shall be trained in the local languages, on the request of the Presiding Officer.

9. The Presiding Officers shall not record evidence in more than one case at the same time.

CHAPTER 2
RECORDING OF EVIDENCE : FORMAT OF WITNESSES

10. The deposition of each witness shall be recorded dividing it into separate paragraphs assigning paragraph numbers.

11. Prosecution witnesses shall be numbered as PW-1, PW-2 etc, in *seriatim*. Similarly, defence witnesses shall be numbered as DW-1, DW-2, *etc.*, in *seriatim*. The Court witnesses shall be numbered as CW-1, CW-2, etc, in

12. The record of depositions shall indicate the date of the examination-in-chief, the cross examination and re-examination.

13. The Presiding Officers, shall, wherever necessary, record the deposition in question and answer format.

14. Objections by either the prosecution or the defence counsel shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately, in accordance with law, or, at the discretion of the Presiding Officer, at the end of the deposition of the witness in question.

15. The name and number of the witness shall be clearly stated on any subsequent date, if the evidence is not concluded on the date on which it begins.

CHAPTER 3

EXHIBITING OF MATERIAL OBJECTS AND EVIDENCE

16. Prosecution exhibits shall be marked as Exhibit P-1, P-2 etc in *seriatim*. Similarly, defence Exhibits shall be marked as Exhibit D-1, D-2, etc in *seriatim*. The Court exhibit shall be marked as Exhibit C-1, C-2, etc in *seriatim*.

17. To easily locate the witness through whom the document was first introduced in evidence, the exhibit number shall further show the witness number of such witness after the Exhibit number. If an exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in brackets (subject to proof).

Explanation: If Prosecution witness No. 1 (PW1) introduces a document in evidence, that document shall be marked as Exhibit P-1/PW1. If proper proof is not offered for that document at the time when it is marked, it shall be marked as Exhibit P-1/PW1 (subject to proof). The Second document introduced by PW1 will be Exhibit P-2/PW1.

18. The Material objects shall be marked in *seriatim* as MO-1, MO-2 etc.

CHAPTER 4
SUBSEQUENT REFERENCES TO ACCUSED, WITNESS, EXHIBITS AND MATERIAL OBJECTS

19. After framing of charges, the accused shall be referred to only by their ranks in the array of accused in the charge and not by their names or other references except at the stage of identification by the witness.

20. After recording the deposition of witnesses, marking of the exhibits and material objects, while recording deposition of other witnesses, the witnesses, exhibits and material objects shall be referred by their numbers and not by names or other references.

21. Where witness cited in the complaint or police report are not examined, they shall be referred to by their names and the numbers allotted to them in the complaint or police report.

CHAPTER 5
REFERENCES TO STATEMENTS UNDER SECTION 161 AND 164 OF THE CODE

22. During cross examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 of the Code used for contradicting the respective witness shall be extracted. If it is not possible to extract the relevant part as aforesaid, the Presiding Officer, in his discretion, shall indicate specifically the opening and closing words of such relevant portion, while recording the deposition, through distinct marking.

23. In such cases, where the relevant portion is not extracted, the portions only shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be, so that other inadmissible portions of the evidence are not part of the record.

24. In cases, where the relevant portion is not extracted, the admissible portion shall be distinctly marked as prosecution or defence exhibit as the case may be.

25. The aforesaid rule applicable to recording of the statements under Section 161 shall *mutatis mutandis* apply to statements recorded under Section 164 of the Code, whenever such portions of prior statements of living persons are used for contradiction/corroboration.

26. Omnibus marking of the entire statement Under Section 161 and 164 of the Code shall not be done.

CHAPTER 6
MARKING OF CONFESSIONAL STATEMENTS

27. The Presiding Officers shall ensure that only admissible portion of Section 8 or Section 27 Indian Evidence Act, 1872 is marked and such portion alone is extracted on a separate sheet and marked and given an exhibit number.

PART V : THE JUDGMENT

28. Every judgement shall contain the following

(A) Start with a preface showing the names of parties as per FORM A to the Rules.

(B) A tabular statement as per FORM B to the Rules.

(C) An appendix giving the list of prosecution witnesses, defence witnesses, Court witnesses, Prosecution Exhibits, Defence Exhibits and Court Exhibits and Material Objects as per FORM C to the Rules.

29. In compliance with Section 354 and 355 of the Code, in all cases, the judgments shall contain:

(A) the point or points for determination,

(B) the decision thereon, and

(C) the reasons for the decision

30. In case of conviction, the judgment shall separately indicate the offence involved and the sentence awarded. In case there are multiple accused, each of them shall be dealt with separately. In case of acquittal and if the accused is in confinement, a direction shall be given to set the accused at liberty, unless such accused is in custody in any other case.

31. In the judgment, the accused, witnesses, exhibits and material objects shall be referred to by their nomenclature or number and not only by their names or otherwise. Wherever, there is a need to refer to the accused or witnesses by their name, the number shall be indicated within brackets.

32. The judgment shall be written in paragraphs and each paragraph shall be numbered in *seriatim*. The Presiding Officers, may, in their discretion, organize the judgment into different sections.

PART VI : BAIL

33. The application for bail in non-bailable cases must ordinarily be disposed of within a period of 3 to 7 days from the date of first hearing. If the application is not disposed of within such period, the Presiding Officer shall furnish reasons thereof in the order itself. Copy of the order and the reply to the bail application or status report (by the police or prosecution) if any, shall be furnished to the accused and to the accused on the date of pronouncement of the order itself.

34. The Presiding Officer may, in an appropriate case in its discretion insist on a statement to be filed by the prosecutor in charge of the case.

PART VII : DIRECTIONS FOR EXPEDITIOUS TRIAL

35. In every enquiry or trial, the proceedings shall be held as expeditiously as possible, and, in particular, when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be

Note: Please see sub-section (1) of Section 309 of the Code.

36. For the aforesaid purpose, at the commencement, and immediately after framing charge, the court shall hold a scheduling hearing, to ascertain and fix consecutive dates for recording of evidence, regard being had to whether the witnesses are material, or eye witnesses, or formal witnesses or are experts.

37. The court then shall draw up a schedule indicating the consecutive dates, when witnesses would be examined; it is open to schedule recording of a set of witnesses depositions on one date, and on the next date, other sets, and so on. The court shall also, before commencement of trial, ascertain if the parties wish to carry out admission of any document under Section 294, and permit them to do so, after which such consecutive dates for trial shall be fixed.

38. After the commencement of the trial, if the court finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable. If witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded, in writing.

Note: Please see sub-section (2) of Section 309 of the Code.

39. Sessions cases may be given precedence over all other work and no other work should be taken up on sessions days until the sessions work for the day is completed. A Sessions case once posted should not be postponed unless that is unavoidable, and once the trial has begun, it should proceed continuously from day to day till it is completed. If for any reason, a case has to be adjourned or postponed, intimation should be given forthwith to both sides and immediate steps be taken to stop the witnesses and secure their presence on the adjourned date.

PART VIII: AMENDMENTS IN EXISTING RULES

40. All existing rules, notifications, orders, practice and directions on the subject, which are covered under these rules, shall stand amended to the extent that these rules shall only apply.

41. All existing rules, notifications, orders, practice and directions on the subject, which are not covered under these rules shall remain unaffected and shall continue apply.

FORM A

IN THE COURT OF ....

Present: .... Sessions Judge

[Date of the Judgement]

[Case No........./20...]

(Details of FIR/Crime and Police Station)

Complainant	STATE OF..... OR NAME OF THE COMPLAINANT
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATE
ACCUSED	1. NAME WITH ALL PARTICULARS (A1) 2. NAME WITH ALL PARTICULARS (A2)
REPRESENTED BY	NAME OF THE ADVOCATES

FORM B

Date of Offence	
Date of FIR	
Date of Chargesheet	
Date of Framing of Charges	
Date of commencement of evidence	
Date on which judgment is reserved	
Date of the Judgment	
Date of the Sentencing Order, if any	

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC

FORM C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1		
PW2		

B. Defence Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
DW1		
DW2		

C. Court Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
CW1		
CW2		

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1/PW1	
2	Exhibit P-2/PW2	

B. Defence:

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1/DW1	
2	Exhibit D-2/DW2	

C. Court Exhibits

SL. No	Exhibit Number	Description
1	Exhibit C-1/CW1	
2	Exhibit C-2/CW2	

D. Material Objects:

SL. No	Material Object Number	Description
1	MO1	
2	MO2	

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/414–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या--UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 ई0 (कार्तिक 08, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

In my office records my name is wrongly written as Harshbardhan Singh. That my correct name is Harshbardhan Singh Rana.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Harshbardhan Singh Rana S/o Late
Shri Bal Singh Rana. R/o Siddia
Residency 301-B, 3rd Floor
Gulmohar, Enclave, Law College
Road, Sahastradhara Road, Dehradun.

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, बाजपुर (ऊधमसिंहनगर)

नगरपालिका परिषद् बाजपुर–प्रस्तावित उपविधि का प्रारूप

17 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 1139/सिं0यू0प्ला0/उ0गजट/2021–22–सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–298 (घ) एवं पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये अवशिष्ट प्लास्टिक नियम–2016 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बाजपुर हेतु नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के अन्तर्गत उपनियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा–301 के अन्तर्गत दी गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम–2016 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बाजपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 13–05–2020 में सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव सं0 5 के अनुपालन क्रम में निम्नवत उपनियम तैयार किये गये, जिसे आमजनसाधारण को आपत्तियां एवं सुझाव चाहने हेतु पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 18–01–2021 को पारित प्रस्ताव सं0 15 द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। जिसका कि सम्बन्धित व्यक्तियों, सस्था, प्रतिष्ठान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हैं–

प्रभावित व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान, कम्पनी अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर कार्यालय नगर पालिका परिषद, बाजपुर में किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकतें हैं। तथा प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के उपरान्त किसी भी प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा-२९८ (घ) एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद, बाजपुर हेतु नगरपालिका अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, बाजपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधियां बनाई जाती है।

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:-

(i) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद, बाजपुर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2020 कहलायेंगे।

(ii) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद, बाजपुर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) ये उपनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख ईकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की ईकाइयों पर लागू नही होगा, परन्तु यह खूट गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नही होगी।

2. ये उप-नियम नगर नगरपालिका परिषद, बाजपुर की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।

3. परिभाषायें :- इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है।

(ख) ब्रांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) कैरी बैग्स से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुयें तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है।

(घ) "वस्तु से" ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं।

(ड) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई आक्साईड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नही छोड़ती है।

(च) "विघटन" से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है।

(छ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ के लिये उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है।

(ज) "खाद्य पदार्थ" से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाये हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(झ) "सुविधा" से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पुनर्चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है।

(ञ) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नही दी गई हो।

(ट) "संस्थागत अपशिष्ट जनित " से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनिया , अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरा, मॉल और शौपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(ठ) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है।

(ड) "बहुस्तरीय पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, कार्ड बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां , धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है।

(ढ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीइथाइलिनटेरेफथलेट , उच्च घनत्व पोलीइथाइलिनविनाइल, कम घनत्व पोलीइथाइलिन, पोली प्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एकरीलीनोट्रायल-बूटाडाइन-स्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हों।

(ण) "प्लास्टिक चादर " से प्लास्टिक चादर अभिप्रेत है अर्थात प्लास्टिक से बनी चद्दर।

(त) ""प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट" से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैंक दिया जाता है।

(थ) "उत्पादक" से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है।

(द) "पुनर्चक्रीकरण" नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(ध) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सम्बद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(न) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है।

(प) "शहरी स्थानीय निकाय" से नगर पालिका परिषद् ,बाजपुर अभिप्रेत है सम्मिलित है।

(फ) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नही किया गया। अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नही किया गया है।

(ब) अपशिष्ट जनित से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, बन्दरगाह और रक्षा कैन्टोन्मेंट, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(भ) अपशिष्ट प्रबन्धन से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है।

(म) अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है।

(य) थरमोस्टेट प्लास्टिक, जब ताप या अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से अगलनीय या अघुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है थरमोस्टेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित रसायनिक संरचना के कारण रिमोड या रिसाइकिल नही किया जा सकता।

अध्याय-2

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन-

4- नगर पालिका परिषद् ,बाजपुर द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नवत किया जायेगा-

(क) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक- अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, निबन्धित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के साथ चेनलाईज करेगी और भारतीय मानक आई0एस0 14534 : 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय- समय पर यथा संशोधन के अनुरूप संपुष्ट करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नही किया जा सकता) सड़क निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण मानको के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा।

5- शर्तों का पूरा किया जाना- नगर पालिका परिषद्,बाजपुर का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंम्भीर पर्यावरणीय समास्याये उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर पालिका परिषद् , बाजपुर की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई जाय।

(i) कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, बाजपुर की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(ii) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हाकर , फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(iii) बायोमेडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी। यथा-

1- बायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के प्राविधानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नही होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में किये गये प्राविधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

2- रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थो के भण्डारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नही किया जायेगा।

3- वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर, उसकी मोटाई पर विचार किये बिना, नगर पालिका परिषद् ,बाजपुर की अधिकारिता में रोक लगेगी।

4- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि करने के लिए उपयोग किये गये पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पालीबैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5- निजी नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पालीबैगों का दोबारा उपयोग हो।

6- निजी तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैगों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उसे नगर पालिका को निर्धारित फीस का भुगतान कर हस्तगत कर सकें।

7- प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कवर के अभिन्न भाग न हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नही होगी।

8- विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किये जाने हेतु विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा।

9- पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नही किया जायेगा।

10- प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट-मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नही किया जायेगा।

अध्याय-3

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग-

6 (i) खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नही बेचगे या उपलब्ध करेगे जो इस उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल या मार्क न किया गया हो।

(ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कवरों में जो इस उप विधि के अनुसार विनिर्मित या लेबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हों।

(iii) मल्टी लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निबन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अग्रेंजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-4

उत्पादक, रिसाईक्लर और विनिर्माता का निबन्धन

7(i) नियम 5 (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिंग मैटेरियल का विनिर्माण केवल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

(ii) प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे।

अध्याय-5

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण एवं प्रसंस्करण निम्नवत किया जायेगा-

(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठायेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट बिन में ही एकत्रित किया जायेगा।

(ग) सेकेन्ड्री स्टोरेज पॉइंट/डिपो/ट्रांसपोर्ट स्टेशनो पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए सौंपे दी जायेगी।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा कूड़े के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन, मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेपर, लोहा, शीशा, ई वेस्ट, पालीथीन, चमडे, जूते, पेट बोटल रबर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग बीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओ/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे- प्लाज्मा पाइरोला द्वारा तकनीकी, बेलिंग प्रेस और रिफ्यूज ड्राईव्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सीमेंट क्ले तथा प्लास्टिक श्रेडिंग को-प्रोसेसिंग की स्थापना की भी जांच पडताल करेगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी।

(ज) वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाना, कार्टन बैग, सिलाई, कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-6

9- मोनिटरिंग क्रिया विधि-

(क) इन उप विधियों के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस निमित्त हेतु इसके सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगें।

अध्याय-7

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना

10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रर्वतन और प्रबन्धन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

11- उल्लघन पर जुर्माना-

(क) इस उपविधि के आरम्भ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक माह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का कोई उल्लंघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी।

(ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कवर में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार नही किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची- 1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(घ) नगरपालिका परिषद् अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका परिषद के अधिकारी उपविधियों के प्राविधानों के उल्लघंनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना वसूल करेगे।

12- व्यतिक्रम की दशा में कार्यवाही :-

कोई विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर जो जुर्माना नही देगा वह सम्पत्ति कर के बकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। बार-बार अपराध करने वालों के विरूद्ध नगरपालिका अधिनियम के प्राविधानों/स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-8

आवेदकर्ता का वार्षिक रिर्टन

13- आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्लू.एम. नियमावली 2016)

(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंस्करण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइक्लिंग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ग) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए फार्म-III में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग एवं प्रोसेसिंग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-IV में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।

(ड) नगर पालिका परिषद,बाजपुर फार्म-V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित करेगा।

अध्याय-9

स्टॉक होल्डर का उत्तरदायित्व :-

14.1 नगर पालिका परिषद,बाजपुर का उत्तरदायित्व :-

(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण भण्डार परिवहन, प्रोसेर्गिस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सरचना विकसित करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी, यथा-

1. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
2. इस प्रोसेर्गिस के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो,
3. रिसाईकिलर्स को रिसाईक्लेबल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर- रिसाईक्लेबल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटाव को सुनिश्चित करना।
5. सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता पैदा करना।

6. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूल को शामिल करना।

7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय या किसी एजेंसी को लगाकार प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रो की स्थापना, करेगी। जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के स्त्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एंव दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरुकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।

(ड) जुर्माने के रुप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसम्बन्धी आधारभूत सरंचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्निमाताओं उत्पादकों तथा ब्रांड स्वामियों की सहायता लेगी।

14.2 <u>अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी</u>-

(क) अपशिष्ट उत्पावक निम्नलिखित कार्य होंगे-

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय –समय यथा संशोधित)के अनुसार स्त्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना।

(ii) प्लास्टिक कूडा-कचरा न फैलाना तथा स्त्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित करना एंव रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स रजिस्टर्ड रिसाईक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपषिश्ट उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेगे।

(ग) सभी अपषिश्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे अपशिष्ट सग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो इस हेतु नगर पालिका परिषद् द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2019 के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय।

(घ) खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देना अतिग्रस्त हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रतिबन्धित करेगा। ऐसे समारोह कार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथक्कृत अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 1.1 वर्ग मी0 का दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु नगर पालिका परिषद्,बाजपुर से अनुरोध किया जाना चाहिए।

14.3 उत्पादक आयातक तथा ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व :-

(क) उत्पादक उप विधि के प्रकाषन की तिथि से 6 माह की समयसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अन्तरित करेंगे।

(ख) उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे।

(ग) सभी उत्पादक, ब्रान्ड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार होगें।

(घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सेचेट या पाउच या पैकेजिंग के सग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और ब्रान्ड स्वामियों की है, जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते है। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनीकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करनी है।

(ङ) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रुप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कमरे के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिलेख संधारित करेगा।

(च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिर्माता/ब्रांड मालिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान बेस्ट वर्कर्स /स्क्रैप ट्रेडर्स, रिटेलर्स, के साथ समन्वय/सहयोग और उनके स्वंय स्थापित रिसाईक्लिंग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी0आर0ओ0) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होगें, कर्मठता क्रियान्वित करेगें।

(छ) पी.ई.टी. बोतल (P.E.T. BOTTLE) उत्पादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय। और यह सुनिश्चित करेगें कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रुप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है।

(ज) बहुसंख्या में पी.ई.टी. बोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरिज हॉल/पार्टी हॉल, बाह्य खेल, स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा।

(झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रिटेलर के खरीद बैंक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रॉसरिज एंव अभाव के पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित करके सामूहिक रुप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईकिल करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेगें।

14.4 रिटेलर्स स्ट्रीट वेंडर, खाने वालों/हॉकर इत्यादि की जिम्मेदारी :-

(क) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, रिटेल वेंडर खाने वाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैंगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नही करेगा।

(ख) प्लास्टिक कैरी बैग का दुकानदार/विक्रेता रिटेलर या ट्रेडर्स, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के दिनांक से समय सीमा के भीतर उद्योग विक्रय स्टॉक समाप्त कर देगें, उस कालावधि के बाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैरी बैंग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा।

(ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कवरों , जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेवल न किया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दोषी होगा।

14.5 <u>राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी),उत्तराखण्ड शासन की जिम्मेदारी</u> :-

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से सम्बन्धित इस नियमावली के प्राविधानो को लागू करने हेतु प्राधिकार होगा।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा।

14.6 <u>जिला स्तरीय समीक्षा एंव मोनिटरिंग समिति</u> :-

(क) ठोस एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा एंव मोनिटरिंग करना।

(ख) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्वलोकन करना तथा प्लास्टिक एव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्राविधानों को क्रियान्वित करना।

(ग) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाईन डेटा बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना।

(घ) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मोनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एंव नगर विकास एंव आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ङ) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा सभी समिति करेगी।

(च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मोनिटरिंग तथा प्रबन्धन करने का समर्थन करने के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मोनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौपेगी।

14.7 सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स निम्नलिखित कार्यो का जिम्मा लेगा-

(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना।

(ख) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किए गए प्राविधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नही किए गऐ हो सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।

(ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।

(घ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य सचंलन तथा विक्रय को रोकना।

(ड) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना।

अनुसूची-1

क्र० सं०	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
१	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय	२०००	३०००	५०००
२	प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोगकर्ता			
i	वाणिज्यक उपयोगकर्ता	१५००	२५००	३५००
ii	घरेलू उपयोगकर्ता	१००	२००	५००
३	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नही किए गए हों, मे वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना।	२०००	३०००	५०००
४	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना।	२०००	३०००	५०००
५	सार्वजनिक स्थानों पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों मे प्लास्टिक अपशिष्ट का फैलाना।	१०००	१५००	२०००
६	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	१५००	२०००	२५००

इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सडक विक्रेता, स्टाकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्राविधानो में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा।

फॉर्म - IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17(1)के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिर्पोट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
2	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	मोबाईल	
	ई-मेल	
3	हैसियत	
4	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
5	वर्ष के दौरान स्रोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
6	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्र (टनों में)	
7	भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रिय या अस्वीकृत की मात्रा	
8	फार्म भरने की सुविधा का ब्यौरा जिसके अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रिय या अस्वीकृत भेजे गए थे पता - टेलिफोन -	
9	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो संलग्न किया जाव।	
	दिनांक: स्थान:	आपरेटर का हस्ताक्षर

फॉर्म - V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

शहरी विकास एंव आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	नगर, शहर और राज्य का नाम	
2	जनसंख्या	
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
4	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता-	
	टेलिफोन संख्या-	
	फैक्स संख्या-	
	ई-मेल-	
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या	
7	डोर-टू-डोर संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या	
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या	
9	वाणिज्यक स्थापनाये	
	संस्थाएं	
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ-साथ डोर-टू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण	
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्न करें।	
12	अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ-साथ यदि कोई हो, सलंग्न करें।	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	

15	वर्ष के दौरान रिसाईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी -	
	रजिस्ट्रेशन संख्या	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
	सुविधा- II	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई क्षमता-	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
19	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के संवय के द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें।	
20	गली में झाड़ू लगाने भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें।	
21	वित्तीय दबाव, यदि कोई हो, सहित इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को संक्षेप में वर्णन करें।	
22	क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-	

जगदीश चन्द्रा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)

गुरजीत सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/414–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।